

सेवा में

श्री अरुण अभिषेक गौर,

होलिडिंग नं0-309, रोड नं0-07,  
सोनारी वेस्ट ले-आउट, जमशेदपुर।

विषय:- मौजा-मोहरदा, प्लॉट नं0-portion of 669,681,680,684,713,717,668,670  
(NEW) & 4600, 4647, 4601, 4651, 4654, 4598(R.S.), खाता  
नं0-21,11,16(NEW) & 11,6,13(R.S.), वार्ड नं0-17, थाना-1200, विजया  
गार्डन एरिया, बारीडीह, जमशेदपुर में प्रस्तावित में0 ग्रीन भूमि आवासीय भवन  
निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित स्थल की  
भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर से कराई गई। उनके द्वारा  
ज्ञापांक-272 दिनांक-13.04.19 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई  
अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित ब्लॉक A, B & C के निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक  
सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित A & B ब्लॉक के सामने वाले भाग में कम से कम पचास-पचास हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित A & B ब्लॉक में अग्निशमन कार्य हेतु बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले एवं C ब्लॉक में दस हजार लीटर क्षमता वाले टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रस्तावित A ब्लॉक के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी एवं B ब्लॉक के दोनों स्टेयरकेश लॉबी में 150mm डायामेटर वाले एक-एक ऐसे डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 63 mm डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा 30-30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित ब्लॉक C के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में 30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रस्तावित ब्लॉक A & B के सभी तलों पर प्रत्येक डिलिवरी आउटलेट के पास दो-दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
7. प्रस्तावित A & B ब्लॉक के बेसमेंट में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम विथ अलार्म गौंग का संस्थापन कराया जाय।
8. प्रस्तावित A, B & C ब्लॉक के सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
9. प्रस्तावित C ब्लॉक के ऊपर 450 लीटर प्रति क्षमता का एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. प्रस्तावित A & B ब्लॉक में अग्निशमन कार्य हेतु एक-एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. समान क्षमता का एक डीजल चालित फायर पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
12. जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
13. पम्पिंग सिस्टम मानक के अनुरूप पॉजीटिव सक्शन वाला रखा जाय।
14. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
15. प्रस्तावित A & B ब्लॉक के पाँचवे तल पर रिफ्युज एरिया का निर्माण कराया जाय अथवा प्रस्तावित भवन के सभी Balcony को पूर्णतः अर्थात् ग्रील लगाकर अवरुध नहीं किया जाय।